मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22-2009-छब्बीस-2 दिनांक 2 जुलाई, 2009—माता- पिता वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 (2007 का सं. 56) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक **अपील अधिकरण का गठन** करती है। भरण-पोषण अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी ।

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-7-2009 पृष्ठ 613 पर प्रकाशित।]